महत्वपूर्ण एवं खास

सेक्टर अधिकारियों की बैठक आज

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयेाग रायपुर द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 हेतु अधिसूचना जारी किया गया है। साथ ही प्रदेश में आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। नगरीय निकाय आम निर्वाचन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु 28 नवम्बर को सायं 5 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आवश्यक बैठक आहूत की गई है।

रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसरों की सहायता हेतु नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण आज

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 हेतु रिटर्निंग आफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आफिसरों की सहायता हेतु नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण 28 नवम्बर को प्रात:10 बजे कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित की गई है।

प्रिटिंग प्रेस प्रबंधकों एवं संचालकों की बैठक आज

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 हेतु रायगढ़ जिले के समस्त प्रिटिंग प्रेस मेसर्स, प्रबंधकों एवं संचालकों की बैठक 28 नवम्बर को साय 4 बजे से कलेक्टोरेट परिसर स्थित सभाकक्ष में आहूत की गई है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त प्रिटिंग प्रेस प्रबंधकों एवं संचालकों को नियत समय में बैठक में उपस्थित होने हेतु कहा है।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने जिले के सर्वविभाग प्रमुख को जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2019 के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। नगरीय निकाय आम निर्वाचन की कार्यवाही संपन्न होते तक सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी कलेक्टर अथवा उनके अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जायेंगे। किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख एवं नियंत्रण अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे।

कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति शासकीय एवं अर्द्धशासकीय भवनों में चुनाव प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से नहीं रूक सकेंगे

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने सर्वसंबंधितों को जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2019 के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। उक्त अवधि के दौरान नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के ऐसे क्षेत्र जहां निर्वाचन संपन्न होना है, उसमें कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनों, सर्किट हाऊस, गेस्ट हाऊस आदि जगहों में चुनाव प्रचार-प्रसार अथवा राजनैतिक उद्देश्य से न तो ठहर सकेंगे और न ही वहां पर राजजैतिक गतिविधियां कर सकेंगे। पात्रतानुसार तथा उपलब्धतानुसार उन्हें इन जगहों पर कक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है, किन्तु इसके लिए अलग प्रावधान किया गया है। जिसमें भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं करने, ठहरने वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद भी दें। टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखे तथा किए गए काल की निर्धारित राशि तुरन्त प्राप्त कर लें। किसी प्रकार की राजनैतिक बैठक अथवा विचार नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन एवं ली गई राशि का समस्त ब्यौरा अंकित करें। एक रजिस्टर रखे जिसमें आगन्तुक का नाम, पता, मोबाईल नंबर की जानकारी दर्ज करें। प्रेक्षक या निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उक्त अभिलेखों की मांग करते है तो उन्हें अवलोकन हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये।

मानव तस्करी के मामले में एक महिला सहित चार आरोपियों को 7 साल सश्रम कारावास का दंड

न्याय साक्षी/रायगढ़। विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) रायगढ़ की पीठासीन अधिकारी श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी के न्यायालय में दिनांक 27.11.19 को 20 वर्षीय युवती की तस्करी कर रायगढ़ से दिगर प्रांत राजस्थान ले जाकर वहां के बाशिंदे व्यक्ति को युवती को पत्नी बनाने के लिये बेच देने वाले आरोपी एवं आरोपी से युवती को क्रय कर दुर्व्यापार करने वाले आरोपियों को बलात्संग एवं मानव तस्करी के आरोप में दोषसिद्ध पाकर 7-7 साल के सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता (उम्र 20 वर्ष) जो अनुसूचित जनजाति वर्ग की सदस्या है रायगढ़ किराए मकान में रहकर बीएससी प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। दिनांक 05/05/2016 को अभियुक्त दीपक कुमार यादव उर्फ देव जयसवाल युवती के मोबाइल पर कॉल करके स्वयं को बिलासपुर का रहने वाला बताया और उसकी बहन को रायपुर में नर्स का काम करती है जो उसे भी रायपुर में रू.15000 की नौकरी लगा देगी।

अभियुक्त दीपक कुमार यादव ने दिनांक 12/05/2016 को युवती के छ्.श्वस्त्र की परीक्षा के बाद अपने सर्टिफिकेट लेकर अपने साथ रायपुर में काम दिलवाऊंगा कह कर चलने के लिये बोला। तब युवती दीपक के साथ रायपुर में उसकी बहन योगिता डोय उर्फ राखी (आरोपिया फरार) के यहां गई। जहां दो-तीन दिन रुकने के बाद दीपक और उसकी बहन योगिता डोय उर्फ राखी सुनियोजित तरीके से दीपक को युवती को राजस्थान ले जाने के लिये बोली। इधर पीडित युवती के पिता द्वारा थाना चक्रधरनगर में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कराया गया था।

दीपक युवती को राजस्थान के माधोपुर लेकर गया। जहां युवती को उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ बलात्कार किया और उसे धमकाया की आगे जिसके पास उसे लेकर जा रहा है वह जैसा बोलेगा वैसा करना। दूसरे दिन अभियुक्त महावीर बेरवा निवासी खेड़ली बेरीसाल खातोली जिला कोटा राजस्थान के पास लेकर गया। महावीर बेरवा ने दीपक को युवती के लिए 70,000 रूपये दिये। महावीर बेरवा ने युवती से पूछा कि उससे शादी करेगी तब डर से युवती हां बोली। अभियुक्त महावीर उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। अभियुक्त महावीर के पिता अभियुक्त बाबूलाल बेरवा व उसकी मां अभियुक्त केरा बाई द्वारा युवती का दुर्व्यापार करने में उसके पुत्र सहयोग दिया जा रहा था। दिनांक 03.06.2016 को अभियुक्त महावीर बेरवा युवती को जयपुर किराए के मकान में रखा और चला गया। पीडित युवती मकान मालकिन को घटना बतायी जिस पर मकान मालकिन उसे 1500 रुपए दी और चले जाने को बोली। युवती मोबाईल पर अपने भाई को राजस्थान में रहना बतायी। तब युवती के परिजन और चक्रधरनगर पुलिस जयपुर राजस्थान जाकर युवती को बरामद किये। थाना चक्रधरनगर में गुम इंसान की जांच पर से अपराध क्रमांक 199/2016 धारा 365, 366, 370, 376 आईपीसी धारा 3(2)(1) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उप पुलिस अधीक्षक अजाक रायगढ़ द्वारा प्रकरण के आरोपी 1- दीपक कुमार यादव 33 साल, 2- महावीर बेरवा 36 साल, 3- बाबूलाल बेरवा 55 साल, 4- केरा बाई 50 साल को गिरफ्तार कर चालान माननीय विशेष न्यायालय (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) रायगढ़ में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी दीपक कुमार यादव उर्फ देव जयसवाल उम्र 33 वर्ष निवासी देवनगर जे ब्लॉक के पीछे थाना रानीपुर जिला हरिद्वार हाल मुकाम कुनकुरी जिला जशपुर को धारा 376, 370 आईपीसी में दोषी पाते हुए 7-7 वर्ष की सश्रम कारावास व रू.1000 के दंड से दंडित किया गया है।

वहीं आरोपी महावीर बेरवा को धारा 376, 370 आईपीसी में 7-7 साल की सश्रम कारावास व रू.1000 के अर्थदंड, अभियुक्त महावीर बेरवा के पिता बाबूलाल बेरवा व उसकी पत्नी केराबाई बेरवा को धारा 370 आईपीसी में 7-7 साल की सजा व रू.1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ को पीड़िता को हुई मानसिक एवं शारीरिक हानि में उचित मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।

फेसबुक से मित्रता बाद शादी करने का प्रलोभन देकर युवती से दुष्कर्म

» आरोपी पर थाना कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोतवाली में दिनांक 26.11.19 को कोलकाता में रहने वाली 32 वर्षीय युवती द्वारा जयराम कालोनी पोस्ट आफिस के पीछे रहने वाले आयुष कुमार पिता सुधीर प्रसाद के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट दर्ज करायी है।

पीड़िता ने बताया कि करीब साल भर पहले फेसबुक के माध्यम से आयुष कुमार से परिचय हुआ चैट करते हुए दोनों ने एक दुसरे को मोबाईल नम्बर दिया। आयुष खुद को कुवांरा बताया और शादी की इच्छा जाहिर किया, आयुष कहता कि शादी करेगा लेकिन इसके लिये उसे अपने घरवालो को मनाना पडेगा और घरवालो से मिलाने के लिये दिनांक 19/07/2019 को रायगढ बुलाकर स्थानीय होटल में रूकवाया और रात में शारीरिक संबंध बनाया, परन्तु अपने घरवालो से नही मिलाया। युवती के वापस कोलकाता जाने के बाद कई बार कोलकाता उसके किराये के फ्लेट में जाकर आयुष रूकता और युवती के जान पहचानवालों को रायगढ में शादी कर चुके है बताता था। एक महीना पहले आयुष फिर युवती को रायगढ़ बुलाया और हॉटल में ठहराया, हॉटलवालों के पूछे जाने पर आयुष कहता कि हम लोग पति पत्नी है, घर बदल रहे है। इसी कारण होटल में रूकना पड रहा है।

इसके बाद कई बार शादी के लिये टाल-मटोल करने पर युवती ने पता की तो पता चला कि आयुष पहले से ही शादी शुदा है और उसके दो बच्चे हैं। इसके बावजूद आयुष शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण करते रहा। युवती के आवेदन पर आयुष के विरूद्ध अप.क्र. 1016/19 धारा 376 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा एवं नाम वापसी कार्य के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर एवं अधिकारी-कर्मचारियों की नियुक्ति

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशंवत कुमार ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के संचालन हेतु नगर निगम रायगढ़ के लिए 30 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2019 तक नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने एवं 7 दिसम्बर को उनकी संवीक्षा तथा 9 दिसम्बर 2019 तक अभ्यर्थी द्वारा नाम वापसी एवं विधिमान्य नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने एवं उससे संबंधित अन्य कार्य के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया है तथा उनके सहयोग हेतु अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने की निर्वाचन व्यय संपरीक्षक की नियुक्ति

न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार द्वारा नगर पालिका निर्वाचन 2019-20 हेतु पार्षद पद के लिए निर्वाचन व्यय सीमा का प्रावधान करने के लिए एक पृथक व्यवस्था के तहत निर्वाचन व्यय संपरीक्षक की नियुक्ति की गई है।

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी अनिल पटेल एवं प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय शाखा तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में नगर पालिका निगम 2019 व्यय अनुवीक्षण कार्य के लिए यह समिति गठित की गई है। इस समिति में 23 निर्वाचन व्यय संपरीक्षक होंगे और एक-एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की भी ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को 8 वार्डो में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण का कार्य सौंपा गया है। यह नियुक्ति नगर पालिक निगम रायगढ़, नगर पंचायत सरिया, पुसौर, घरघोड़ा, लैलूंगा, धरमजयगढ़, बरमकेला, किरोड़ीमल नगर एवं नगर पालिका परिषद खरसिया हेतु की गई है।

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी अनिल पटेल ने बताया कि पार्षद पद के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा नगर पंचायत के लिए 50 हजार रुपए, नगर पालिका परिषद हेतु 1.50 लाख रुपए, नगर पालिक निगम के लिए 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगम में 3 लाख रुपए व्यय सीमा है। वहीं 3 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर व्यय सीमा 5 लाख रुपए है।

शासकीय, अशासकीय भवनों, विद्युत एवं टेलीफोन खम्भों पर किसी भी प्रकार से चुनाव प्रचार करने वाले राजनैतिक दलों पर होगी दण्डनीय कार्यवाही

» नगरीय निकाय निर्वाचन 2019

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी यशवंत कुमार ने राजनैतिक दलों को जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2019 के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है जो कि निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी। उक्त अवधि के दौरान नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के ऐसे क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने तथा विद्युत व टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रसार संबंधित झण्डा लगाये जाने पर शासकीय एवं अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति का स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा उस पर एक हजार रुपए जुर्माना के साथ दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर यशवंत कुमार ने नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है, उन जगहों में पर्याप्त संख्या में टीम तत्काल प्रभाव से गठित करने हेतु एवं इसकी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय रायगढ़ में देने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया है। टीम सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। यदि किसी राजनैतिक दल या निर्वाचन लडने् वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं संबंधित थाना प्रभारी प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार धार्मिक स्थल का उपयोग किसी भी रूप में चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा। थाना प्रभारी संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ करेंगे। संबंधित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उपमहानिदेशक रोशन लाल साहू ने सातवीं आर्थिक गणना की समीक्षा की

» पहली बार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणक स्मार्ट फोन से कर रहे है सर्वे का कार्य

न्याय साक्षी/रायगढ़। सृजन सभाकक्ष में आज भारत सरकार क्षेत्र संकाय संभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू की अध्यक्षता में आज सातवी आर्थिक गणना 2019 की समीक्षा बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने समीक्षा करते हुए बताया कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य एमओएसपीई द्वारा डिजीटल इंडिया को प्राथमिकता देते हुए सीएससी (कामन सर्विस सेंटर)ई-गर्वेनेस सर्विस इंडिया लिमिटेड दिया गया है। उन्होंने बताया कि दूरसंचार एवं इलेक्ट्रानिक मंत्रालय के अंतर्गत सीएससी कार्य करता है। सातवीं आर्थिक गणना का कार्य छत्तीसगढ़ में 16 अगस्त 2019 से शहरी क्षेत्रों में तथा 7 सितम्बर 2019 से ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हो गया है। यह कार्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के 27 जिलों में हो रहा है। इसी क्रम में आज उप महानिदेशक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक रखी गयी थी। जिसमें

छत्तीसगढ़ शासन के नोडल अधिकारी ए.के.ध्रुव तथा सीएससी के प्रमुख मदन मोहन राऊत उपस्थित थे।

इस अवसर पर भारत सरकार के वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी आर.सी.श्रीवास्तव, आर.एन.खण्डेल, आर.एन.सोनी, दुर्गा बारला, छत्तीसगढ़ के डीईएस सहायक निदेशक पी.आर.पंधारे, डीपीएसओ एस.के.सिंह, सहायक संचालक एस.कुजूर, एसओ आर.के.बेहरा, एसओ जे.एस.तिर्की, उद्योग विभाग के मैनेजर विश्वजीत सिंह, असिस्टेन्ट मैनेजर एस.एन.खुशराम, सीएससी के वरिष्ठ प्रबंधक जय नारायण पटेल, जिला मैनेजर रवि रश्मि सिंह, नरेश कुमार नायक, प्रियंका मिश्रा एवं प्रगणकगण उपस्थित थे।

उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने बताया कि इसके तहत सभी उद्यमी, प्रतिष्ठान के प्रत्येक घरों का आर्थिक गणना किया जा रहा है जिसमें संगठित एवं असंगठित प्रतिष्ठान भी शामिल है। जिसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन करने का बड़ा योगदान मिलेगा। साथ ही राज्य तथा जिला स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु योजना बनाने में मदद मिलेगी। आर्थिक गणना से ली गई जानकारी में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसी के साथ-साथ प्राप्त परिणामों के आधार पर राज्य बिजनेस रजिस्टर्ड भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज सीएससी के लगभग 400 प्रगणक एवं पर्यवेक्षक सम्मिलित हुए। साथ ही जिला कलेक्टर यशवंत कुमार से मिलकर जिले में प्रगति के संबंध में उपमहानिदेशक रोशन लाल साहू ने सातवी आर्थिक गणना का कार्य आगामी दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करने हेतु जानकारी दी गई। साथ ही कार्य को पूरा करने हेतु सीएससी के द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना की भी कलेक्टर को विस्तार से जानकारी दी गई। समीक्षा बैठक में प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के शंका-समस्याओं का भी समाधान किया गया और साथ ही अधिकारियों के द्वारा सुझाव भी दिया गया।

अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि रायगढ़ जिला से प्रगणक को कार्य में लगाने हेतु कार्ययोजना का क्रियान्वयन करने हेतु 28 नवम्बर से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गणना का कार्य शुरू किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पहली बार भारत में स्मार्ट फोन से सातवी आर्थिक गणना का सर्वे कार्य किया जा रहा है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480